समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 04-0834/आ0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बक्सर।

दिनांक 29/08/2015

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत SECC डाटा के अन्तिम प्रकाशन पश्चात् सितम्बर 2015 से अगले आदेश तक खाद्यान्न का आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना 6615/खाद्य दिनांक 19.08.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के संयुक्त सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना 6615/खाद्य दिनांक 19.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत SECC डाटा के अन्तिम प्रकाशन पश्चात् सितम्बर 2015 से अगले आदेश तक कुल 85032 सदस्यो के लिए खाद्यान्न (1700.64 क्वींटल गेहूँ एवं 2550.96 क्वींटल चावल) का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त निदेश के आलोक में पात्र परिवारो के प्रति सदस्यो को 2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल कुल 5 किलो खाद्यान्न माह–सितम्बर 2015 से अगले आदेश तक वितरण करने हेतु प्रखण्डवार खाद्यान्न का उपावंटन संलग्न सूची के अनुसार किया जाता है।

अतः प्रखण्डवार संलग्न उपावंटन सूची के आधार पर संबंधित प्रखण्डो को खाद्यान्न की आपूर्ति कराने की व्यवस्था की जाय। विभागीय आदेश के आलोक में उक्त खाद्यान्न के उठाव की अन्तिम तिथि 18.09.2015 निर्धारित है।

अनुलग्नक :- आवंटन तालिका।

विश्वासभाजन

29.8.15

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-0834/आ0 दिनांक 29/08/2015

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डी0आई0ओ0, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि इसे बक्सर जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

29.8.15

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

29.08.15

समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

विभाग से प्राप्त SECC डाटा के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अधीन माह–सितम्बर 2015 से अगले आदेश तक खाद्यान्न का अतिरिक्त प्रखण्डवार उपावंटन

क्र0	प्रखण्ड का नाम	अतिरिक्त परिवार की संख्या/राशन कार्ड की संख्या	प्राप्त आवंटन के आधार पर अच्छादित सदस्यो की संख्या	अतिरिक्त खाद्यान्न का उपावंटन क्वींटल में	
				2 किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ	3 किलो प्रति व्यक्ति चावल
1	बक्सर	1904	8973	179.46	269.19
2	चौसा	1264	6033	120.66	180.99
3	इटाढ़ी	1290	6910	138.20	207.30
4	राजपुर	2042	11570	231.40	347.10
5	डुमरॉव	4018	15113	302.26	453.39
6	सिमरी	3450	10842	216.84	325.26
7	ब्रह्मपुर	1375	7917	158.34	237.51
8	चक्की	385	2332	46.64	69.96
9	चौगाई	343	1550	31.00	46.50
10	नावानगर	1533	5851	117.02	175.53
11	केसठ	705	1631	32.62	48.93
योग		**18309**	**78722**	**1574.44**	**2361.66**
12	बक्सर शहर	366	1450	29.00	43.50
13	डुमरॉव शहर	1498	4860	97.20	145.80
योग		**1864**	**6310**	126.20	189.30
कुल योग		**20173**	**85032**	**1700.64**	**2550.96**

27.8.15

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।